कार्यालय : सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक :उ0वि0शि0प0/यू0टी0ई0टी0 2018–विज्ञप्ति-/02 /2018–19,दिनांक अगस्त, 2018

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET) – 2018

UTET-I प्राथमिक (I-V) शिक्षकों एवं UTET-II उच्च प्राथमिक (VI-VIII) शिक्षकों हेतु

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 23–08–2010 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29–07–2011 एवं दिनांक 28 जून, 2018 द्वारा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य के नियत्रंणाधीन ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं। जिसके अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के अतिरिक्त अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

शासनादेश संख्या : 163/ XXIV(1) /2016–15/2011 शिक्षा अनुभाग– I (बेसिक), देहरादून दिनांक 04 मार्च, 2016 तथा शासनादेश संख्या : 502 (I)/ XXIV(1) /2016–15/2011 शिक्षा अनुभाग– I (बेसिक), देहरादून दिनांक 05 मई, 2016 तथा शासनादेश संख्या : 867/XXIV(1) /2017–15/2011, दिनांक 13 नवम्बर, 2017, शासनादेश संख्या : 446/ XXIV(1) /2018–15/2011 दिनांक 21 जून, 2018 एवं शासनादेश संख्या : 671/XXIV(1)/2018/2011 Vol I, दिनांक 01 अगस्त, 2018 के क्रम में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा UTET-I (प्राथमिक शिक्षकों हेतु) तथा UTET-II (उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु)–2018 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता (प्रथम एवं द्वितीय) परीक्षा दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तावित हैं।**

इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र डाकघर **हरिद्वार (HPO), रूड़की, देहरादून (GPO), चकराता, विकास नगर, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, बड़कोट, नई टिहरी (HPO), नरेन्द्रनगर, पौड़ी (HPO), कोटद्वार (HPO), श्रीनगर, धुमाकोट,बैजरों, गोपेश्वर (HPO), कर्णप्रयाग, थराली, जोशीमठ, रूद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, पिथौरागढ़ (HPO), डीडीहाट, बेरीनाग, धारचूला, गंगोलीहाट, चम्पावत, लोहाघाट, टनकपुर, अल्मोड़ा (HPO), रानीखेत, भिक्यिासैंण, बागेश्वर,बैजनाथ (गरूड़), नैनीताल (HPO), हल्द्वानी (HPO), रामनगर, भीमताल, रूद्रपुर, काशीपुर खटीमा एवं जसपुर से निर्धारित शुल्क के भुगतान पर 01 सितम्बर, 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।**

शुल्क का विवरण निम्नवत है–

श्रेणी	केवल UTET-I या केवल UTET-II	UTET-I एवं UTET-II दोनो हेतु
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 600.00	रू0 1000.00
अनु0जा0/अनु0जन0जा0/निःशक्त वर्ग	रू0 300.00	रू0 500.00

पूरित आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2018 के सायं 5.00 बजे तक है। पूरित आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल), पिन कोड–244715 के पते पर ही प्रेषित करें। **इस परीक्षा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाईट www.ubse.uk.gov.in में उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, कि परीक्षा आवेदन पत्र क्रय करने से पूर्व अपनी अर्हता सुनिश्चित कर लें, आवेदन पत्र क्रय करने के बाद वापस नहीं होगा।**

भवदीय,

30.8.18

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद

रामनगर (नैनीताल)

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

पो0ऑ0 – रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड, पिन कोड–244715

फोन नं0: (05947)-252276, 254275, फैक्स नं0 : (05947)-255021, 252276

email : **secyutet@gmail.com** वेबसाइट : **www.ubse.uk.gov.in**

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) 2018

(प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा)

1. **पूरित आवेदन–पत्र परिषद् कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 30 सितम्बर 2018, सांय 05:00 बजे तक।**
2. **प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम :**

कार्यक्रम	अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम (UTET- I)	अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वितीय (UTET- II)
परीक्षा की तिथि	14 December 2018	14 December 2018
परीक्षा कक्ष में प्रवेश	9:30 AM	01:30 PM
प्रवेश–पत्र की जॉच	9:30 to 9:45 AM	1:30 to 1:45 PM
प्रश्न पुस्तिका वितरण	9:55AM	1:55pm
परीक्षा प्रारम्भ	10:00 AM	2:00 PM
परीक्षा समाप्त	12:30 PM	4:30 PM

3. **आवेदन पत्र बिक्री हेतु उपलब्ध : दिनांक 01 सितम्बर 2018 से 27 सितम्बर 2018 तक,** राज्य में स्थित निम्नांकित डाकघरों में–

क्र0सं0	जनपद का नाम	डाकघर का नाम (जहाँ से आवेदन–पत्र क्रय किए जा सकते हैं)
1	हरिद्वार	हरिद्वार (H.P.O) रूड़की
2	देहरादून	देहरादून (G.P.O), विकासनगर, ऋषिकेश, चकराता
3	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी, बड़कोट
4	टिहरी	नई टिहरी(H.P.O), नरेन्द्रनगर
5	पौड़ी	पौड़ी (H.P.O), श्रीनगर, कोटद्वार (H.P.O), धुमाकोट, बैजरौ
6	चमोली	गोपेश्वर (H.P.O), जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली
7	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि
8	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ (H.P.O), डीडीहाट, धारचूला, बेरीनाग, गंगोलीहाट
9	चम्पावत	चम्पावत, टनकपुर, लोहाघाट
10	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा (H.P.O), रानीखेत, भिकियासैंण
11	बागेश्वर	बागेश्वर, बैजनाथ (गरूड़)
12	नैनीताल	नैनीताल (H.P.O), हल्द्वानी (H.P.O), रामनगर, भीमताल
13	ऊधम सिंह नगर	रूद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, जसपुर

4. **अर्ह अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र परिषद् की वेबसाइट पर जारी करने की तिथि :** दिसम्बर 2018 प्रथम सप्ताह।
5. **आवेदन करने की विधि :** आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर निर्धारित डाकघरों से निर्धारित अवधि तक प्राप्त किये जा सकते हैं। अभ्यर्थन की श्रेणी के लिये **निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के आवेदन पत्र पर आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।** पूरित आवेदन पत्र (OMR शीट) परिषद् कार्यालय में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट प्राप्त होने की **अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2018 सायं 5:00 बजे तक** हैं। निर्धारित तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी अन्तिम

तिथि की प्रतीक्षा किये बिना यथाशीघ्र आवेदन पत्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार प्रेषित करें कि आवेदन पत्र निर्धारित तिथि/समय के अन्तर्गत परिषद् कार्यालय में प्राप्त हो सकें।

6. **परीक्षा शुल्क (आवेदन–पत्र क्रय के समय)** : निम्नानुसार निर्धारित है–

क्र0 सं0	**श्रेणी**	**परीक्षा विवरण**	**आवेदन पत्र का मूल्य/शुल्क**	**ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र क्रमांक**
1	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग (Gen/OBC)	केवल एक परीक्षा हेतु	रु0 600.00	6 लाख की सीरीज में
		दोनों परीक्षाओं हेतु	रु0 1000.00	1 लाख की सीरीज में
2	अनु0जा0/अनु0 ज0जा0 /निःशक्त वर्ग (SC/ST/PH)	केवल एक परीक्षा हेतु	रु0 300.00	3 लाख की सीरीज में
		दोनों परीक्षाओं हेतु	रु0 500.00	5 लाख की सीरीज में

7. **परीक्षा केन्द्रों हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों का विवरण** : परीक्षा राज्य के 13 जनपदों में बने निम्नांकित 29 परीक्षा शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहरों के नाम एवं कोड निम्नवत् हैं–

परीक्षा शहर का नाम	**परीक्षा शहर कोड**
हरिद्वार	**01**
रूड़की	**02**
देहरादून	**03**
ऋषिकेश	**04**
उत्तरकाशी	**05**
बड़कोट	**06**
नई टिहरी	**07**
नरेन्द्र नगर	**08**
पौड़ी	**09**
श्रीनगर	**10**
कोटद्वार	**11**
गोपेश्वर	**12**
कर्णप्रयाग	**13**
रूद्रप्रयाग	**14**
अगस्त्यमुनि	**15**

परीक्षा शहर का नाम	**परीक्षा शहर कोड**
पिथौरागढ़	**16**
बेरीनाग	**17**
डीडीहाट	**18**
चम्पावत	**19**
टनकपुर	**20**
अल्मोड़ा	**21**
रानीखेत	**22**
बागेश्वर	**23**
गरूड़	**24**
नैनीताल	**25**
हल्द्वानी	**26**
रामनगर	**27**
रूद्रपुर	**28**
काशीपुर	**29**

8. **परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं** :

I. उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V)(UTET-I) (प्राथमिक शिक्षकों हेतु) के लिए न्यूनतम अर्हता–

(i) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एल0एड0/बी0टी0सी0),

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एल0एड0/बी0टी0सी0), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0)।

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त)।

अथवा

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा(डी0एल0एड0/बी0टी0सी0)।

अथवा

50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी0एड0)

(ii) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षामित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय **(IGNOU)** से दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हैं।

जिस अभ्यर्थी द्वारा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा–स्नातक (बी0एड0) की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।

- दो वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय डिग्री में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के **अन्तिम वर्ष (अथवा तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।**
- समस्त **शैक्षिक उपाधियाँ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गयी हों। प्रशिक्षण उपाधियाँ एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गयी हों अथवा प्राप्त की जा रही हों।**
- आरक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जायेगी।
- **उच्चतर माध्यमिक/स्नातक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रतिशत की गणना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार की जायेगी।**

II उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET-II) – (VI-VIII) (उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु) के लिये न्यूनतम् अर्हता–

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बी0टी0सी0/ डी0एल0एड0) उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षाशास्त्र में एक वर्षीय स्नातक बी0एड0/एल0टी0/शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षाशास्त्र में एक वर्षीय स्नातक बी0एड0/एल0टी0/शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी0ए0/बी0एस0सी0एड0 या बी०ए०एड०/बी0एस0सी0एड0।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा भारतीय पुर्नवास परिषद् (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त एक वर्षीय बी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण।

- दो वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय डिग्री **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष (अथवा तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।**

- **समस्त शैक्षिक उपाधियाँ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गयी हों। प्रशिक्षण उपाधियाँ एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गयी हों अथवा प्राप्त की जा रही हों।**
- आरक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जायेगी।
- **उच्चतर माध्यमिक/स्नातक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रतिशत की गणना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार की जायेगी।**

ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री (बी0एड0 आदि) अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष (तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर) में सम्मिलित हो रहें हैं को परीक्षा में अनन्तिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा और उनका यू0टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।

द्विवर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष (प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर) की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं है।

9. **प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :** परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र परिषद् की अधिकृत वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in** में **DEPARTMENTAL EXAM/UTET** लिंक पर उपलब्ध कराये जायेंगे। **आवेदक अपना प्रवेश–पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे।** जिसे **आवेदनपत्र (OMR) क्रमांक** अथवा **अभ्यर्थी अपने नाम एवं जन्मतिथि** अंकित कर डाउनलोड करेंगे। **डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।**

10. **परीक्षा कक्ष में प्रवेश :** परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी को केवल **परीक्षा प्रवेश पत्र** (एडमिट कार्ड), **नीला/काला बॉलपेन** एवं **फोटोयुक्त पहचान पत्र** (यथा –आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड, वोटर आईडी) ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद किसी भी दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वेबसाइट से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट स्पष्ट न हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जायें। फोटो पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जा सकता है।

    अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य कैलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, मोबाईल फोन या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवायस, मुद्रित या हस्तलिखित सामग्री, पेपर, आदि पाये जाते है तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जायेगा। परीक्षा में नकल करने अथवा नकल कराने में सम्मिलित व्यक्तियों के विरूद्ध **"सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998"** के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

11. **परीक्षा पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन :** राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा **(UTET)** द्विस्तरीय है। अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। दोनों **(UTET I & II)** स्तर की परीक्षायें एक ही दिन दो पालियों में आयोजित की जायेगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा **बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित** होगी। **परीक्षा अवधि 02 घण्टा 30 मिनट** की होगी तथा प्रश्नों की संख्या 150 होगी। भाषा के प्रश्नपत्रों के अलावा अन्य प्रश्नपत्र द्विभाषिक अर्थात हिन्दी तथा अंग्रेजी में मुद्रित किये जायेंगे।

    क. प्राथमिक स्तर (I-V) (UTET-I) हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रश्न तथा अंकों का विभाजन निम्नवत होगा–

क्र०सं०	विषय (सभी अनिवार्य)	प्रश्नों की संख्या	अंक
1	बाल विकास एवं पैडॉगाजी	30	30
2	प्रथम भाषा	30	30
3	द्वितीय भाषा	30	30
4	गणित	30	30
5	पर्यावरण अध्ययन	30	30
	योग	**150**	**150**

ख. उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII) (UTET-II) हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रश्न तथा अंकों का विभाजन निम्नवत होगा–

क्र०सं०	**विषय**	**प्रश्नों की संख्या**	**अंक**
1	बाल विकास एवं पैडॉगाजी	30	30
2	प्रथम भाषा	30	30
3	द्वितीय भाषा	30	30
4	**(a)** गणित/विज्ञान के शिक्षक के लिए– **गणित एवं विज्ञान** **(b)** सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए– **सामाजिक अध्ययन** **(c)** अन्य शिक्षकों के लिए– (4a अथवा 4b में से एक)	60	60
योग		**150**	**150**

नोटः प्रथम भाषा, जो अध्यापन की भाषा होगी, के रूप में अभ्यर्थी को हिन्दी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा तथा उक्त भाषा के प्रश्नपत्र का स्तर द्वितीय चयनित भाषा से उच्चतर होगा। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि प्रथम चयनित भाषा से भिन्न होगी।

12. **परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति** : परीक्षाओं हेतु केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। इनमें से **एक ही उत्तर सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर** होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक (One) अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किया जायेगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जायेगें उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जाएंगे। ऋणात्मक अंक (Nagetive Mark) नहीं दिये जाएंगे।

13. **दावा/आपत्ति का निराकरण** : परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परिषद् द्वारा मॉडल उत्तर परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में सप्रमाण दावा/आपत्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेजा जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग–अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अथवा बिना प्रमाण के दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा उसे अमान्य किया जायेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर निराकरण किया जाता है। दावा/आपत्ति सही पाये जाने पर मॉडल उत्तर में तद्नुसार आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे परिषद् के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर उत्तर–पत्रक का मूल्यांकन किया जाता है। **परिषद् द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा।**

14. **परीक्षा परिणाम** : परिषद् द्वारा परीक्षा हेतु जारी शासनादेशों के क्रम में परीक्षाफल घोषित किया जाता है। परीक्षा परिणाम परिषद् की वेबसाइट पर जारी किया जाता है। जहॉ से अभ्यर्थी अपने अंकपत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। **परिणाम घोषित करने के उपरांत परीक्षा में सम्मलित हुऐ समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को अंकपत्र डाक द्वारा प्रषित किया जाता है।** परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अंक–सह–प्रमाणपत्र भी जारी किया जाता है। वर्तमान में अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60%, अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिक (स्वंय) हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% निर्धारित है।

15. **पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन** : OMR उत्तरशीट का मूल्यांकन मशीन से किया जाता है, अतः उत्तरशीट की पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। **अतः पुनर्मूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

16. **क्षेत्राधिकार (JURISDICTION)** : उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबन्धित किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।

17. **हेल्प लाइन संबंधी जानकारी** : परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 से सायं 5.00 बजे के बीच **फोन नं0: (05947)-252276, 254275** पर प्राप्त की जा सकती है।
    - **email : secyutet@gmail.com** **वेबसाइट** : **www.ubse.uk.gov.in**

18. **अभ्यर्थियों के लिए अन्य आवश्यक निर्देश :**
    - अभ्यर्थी **आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–प्रथम या द्वितीय (UTET-I or II) या दोनों परीक्षाओं हेतु पात्रता के सभी निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता हैं।**
    - OMR आवेदन पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें। मूल ओ.एम.आर. शीट भरने में कोई त्रुटि न हो। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। **अधूरे अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।**
    - आवेदन पत्र में दी गई गलत जानकारी या गलत आरक्षण श्रेणी / वर्ग / प्राप्तांक लिखने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा और उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती हैं। **अभ्यर्थी सुनिश्चित करे लें कि विज्ञप्ति की तिथि के पूर्व वह निर्धारित शैक्षिक, प्रशिक्षण अर्हताएं एवं आरक्षण सम्बन्धी अर्हता पूर्ण करता हो। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् अर्जित शैक्षिक, प्रशिक्षण अर्हताओं एवं आरक्षण संबंधी अर्हता पर विचार नहीं किया जायेगा।**
    - OMR आवेदन पत्र एवं OMR उत्तर पत्रक की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर **OMR आवेदन पत्र की प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।**
    - अभ्यर्थी अपने OMR आवेदन पत्र की एक फोटो कॉपी करवाकर अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य में परीक्षा संस्था से किये जाने वाले समस्त पत्राचार में उक्त ओ०एम०आर० आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य करें। इसी प्रकार OMR उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी को अपने ले जाने की अनुमति होती है। अतः **आवेदन पत्रों की छाया प्रति एवं OMR उत्तर पत्रक की छायाप्रति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।**
    - **उक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उनके द्वारा OMR आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों के आधार पर सम्मिलित कराया जाता हैं जिस कारण उनका अभ्यर्थन नितान्त औपबंधिक हैं।** नियुक्ति से पूर्व, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी अर्हता का सत्यापन करेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थी का अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
    - अभ्यर्थी OMR आवेदन पत्र पर अपनी नवीनतम बिना हस्ताक्षरित / बिना सत्यापित फोटो चिपकायें। अभ्यर्थी फोटो को स्टैपल अथवा किसी पिन से नत्थी न करें। ओ0एम0आर0 शीट पर स्टेपल अथवा कोई भी पिन नत्थी न करें। OMR आवेदन निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं और से न मोड़ें तथा इस हेतु निर्धारित लिफाफे में रखें। अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें एवं नमूने हस्ताक्षर जहाँ पर भी होने हों, सुनिश्चित करें कि उन सभी स्थानों पर एक ही प्रकार के हस्ताक्षर हों।

सचिव 30.8.18

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।